केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं
KENDRIYA VIDYALAYA, GHUMARWIN
जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)174021
DISTT. - BILASPUR (H.P.)-174021
दूरभाष/Phone No.-**01978-293074**
ई-मेल/E-mail:- **kvghumarwin@gmail.com**,
वेबसाइट/Website:- **https://ghumarwin.kvs.ac.in/**

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.19/ के.वि/ घुमारवीं/2025-26/1501 **दिनांक: 17.07.2025**

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं (हिमाचल प्रदेश) में निष्प्रयोज्य/अप्रचलित घोषित किये गए फर्नीचर सामग्री,संगीत उपकरण,खेल-कूद सामग्री, विज्ञान विभाग सामग्री,कार्य अनुभव विभाग सामग्री,सी.सी.ए विभाग सामग्री और आई टी उपकरणों की नीलामी दिनांक 21.07.2025 को सुबह 11:00 बजे से केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं के परिसर में सक्षम अधिकारी द्वारा कंडमनेशन कमेटी के सदस्यों के समक्ष की जाएगी। नीलामी से सम्बंधित नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं, जिनको मौके पर भी उल्लेखित किया जायेगाः

नियम एवं शर्तें:-

1. बोलीदाता को 100/- रूपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। जो सफल बोलीदाता 24 घंटे के भीतर नकद जमा करने और सामग्री को उठाने में में विफल रहता है, तो जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
2. सभी सामान पुराना, प्रयोग किया हुआ एवं निष्प्रयोज्य/अप्रचलित है।
3. उपरोक्त सामान की नीलामी "जैसा हैं, जहाँ जैसी स्थिति में है" के आधार पर की जाएगी।
4. विद्यालय का कोई भी कर्मचारी एवं उनके परिवार का सदस्य सार्वजनिक नीलामी में भाग नहीं ले मकता है।
5. नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
6. नीलामी के दिन यदि फर्म के मालिक के स्थान पर उनके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति बोली में भाग लेता है तो उसके पास सम्बंधित फर्म से बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र हो, जिसे नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा बिद्यालय में जमा करवाना होगा।
7. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को तुरंत बोली उपरांत निष्प्रयोज्य/अप्रचलित घोषित सामान की बनी कुल राशि विद्यालय में कैश, ऑनलाइन, RTGS/NEFT के माध्यम से विद्यालय में जमा करवानी होगी। अन्यथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को सामान नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए दे दिया जायेगा। इसलिए फर्म पर्याप्त राशि नकद के रूप में या अपने बैंक खाते में रखे एवं चेक साथ लेकर विद्यालय में आये।
8. सफल बोली लगाने के बाद कोई भी वस्तु किसी भी शर्त पर विद्यालय द्वारा वापिस नहीं ली जायेगी।
9. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को पूर्णराशि जमा करवाने के बाद ही सामान ले जाने का अधिकार होगा और नीलामी के बाद एक दिन के भीतर सभी सामान मफल बोलीदाता द्वारा उठाया जाना अनिवार्य होगा।
10. सामग्री को विद्यालय से ले जाने के लिए वाहन इत्यादि का इंतजाम उच्चतम बोलीदाता कर्म को स्वयं ही करना होगा।
11. यदि नीलामी वाले दिन न्यूनतम तीन फर्म बोली लगाने के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उस स्थिति में नीलामी प्रक्रिया को उस दिने के लिए रद्द कर दिया जायेगा।

प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं कोई भी कारण बताए बिना उक्त नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए निर्वाध अधिकार सुरक्षित रखते है।

नीलामी में भाग लेने वाली सभी फर्म उपरोक्त सभी शर्तो के पालन के लिए बाध्य होगी।

(रिंकु कुमारी)
प्राचार्या

रिंकु कुमारी/Rinku Kumari
प्राचार्या/Principal
केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं
Kendriya Vidyalaya Ghumarwin

वितरणः -

1. विद्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट के.वि. घुमारवीं।
2. अध्यक्ष, VMC के.वि. घुमारवीं।
3. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त के.वि. गुरुग्राम संभाग-ईमेल द्वारा
4. उपायुक्त, के.वि.सं. (क्षे.का.), गुरुग्राम संभाग-ई-मेल द्वारा